न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़

पीठासीन अधिकारीः कन्हैया लाल सोनगरा.

प्रकरण संख्या–138/2022
जीसीएमएमस नम्बर 2022/138

1. इब्राहिम पुत्र रहीमबक्श जाति मुसलमान निवासी जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

....

... प्रार्थी

बनाम

1–गोपीराम पुत्र बुधराम जाति ब्राहमण निवासी जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

2–उदयराम पुत्र चान्दाराम जाति ब्राहमण निवासी जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर(**फौत**)

2/1 राजू पिसरान
2/2 महेन्द्रकुमार
} उदयराम जाति ब्राहमण निवासी जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ़।

2/3 नोरंगलाल
2/4 किशोरीलाल
2/5 गंगादेवी
} पिसरान मगतुंराम जाति ब्राहमण निवासी निमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

2/6 मानवती
2/7 जमना
2/8 मोहनीदेवी
2/9 कमला
2/10 चन्दोपुत्र व पुत्रियां
2/11 परमेश्वरी
2/12 विमला
2/13 प्रहलाद
2/14 बनवारीलाल
2/15 महावीर
} लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासीयान सिंगसर तहसील नोहर जिला हनुमनगढ़।

2/16 श्योचन्द
2/17 रामकुमार
2/18 भंवरलाल
2/19 इन्द्रा
} पुत्रगण व पुत्रिया सरस्वती पुत्री लक्ष्मीनारायण निवासी सिंरगसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.06 16:59:09 IST
Reason: SelfAttested

3–बुधरामपुत्र अर्जन जाति ब्राहमण निवासी जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

4–सुरजाराम पुत्र सदूराम जाति ब्राहमण निवासी जानकीदास वाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

5–तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

6– उप पजींयक सूरतगढ़।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

................अप्रार्थीगण

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 11/14 कोलो एक्ट एंव धारा 14/4 आवंटननियम 1970

उपस्थितः—

1—दलवीर सिंह सोवना अभिभाषक प्रार्थी।

2—सुभाष चन्द्रबिश्नोई अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2/1

3—पैराकार राज तहसीलदार सूरतगढ़।

—:—निर्णय —:—

दिनांकः— 18.07.2024

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 2/1 उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 10 एसडी प0न0 107/396 का कि0 न0 17 व 24 का 0.506 है0 रकबा स्माल पेच आवंटन दिनांक 09/12/1975 को बिना कब्जा काश्त हुए केवल मात्र पेपर आवंटन होने के कारण आवंटन खारीज किया जावे । साथ मे स्थगन का प्रार्थनापत्र भी पेश किया प्रकरण को दिनांक 30/12/2022 को दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। राजू पुत्र उदय राम जाति ब्राहमण निवासी निमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के फोत हुए होने के कारण उनके वारीसो को पक्षकार बनाने के लिए निवेदन किया जिस पर वकील प्रार्थी को कोई एतराज नही होने पर अप्रार्थी संख्या 2/1 ता 2/19 पक्षकार दिनांक 10/07/2024 को कायममुकाम किये गये वकील प्रार्थी द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया गया व वकील अप्रार्थी संख्या 2/1 द्वारा स्थगन प्रार्थनापत्र का जबाव पेश किया गया पत्रावली वास्ते स्थगन बहस दिनांक 15/07/2024 को मुक्कर्र हुई दिनांक 15/07/2024 को वकिल प्रार्थी द्वारा 151 सीपीसी का प्रार्थनापत्र पेशकर निवेदन किया की मौका कि रिर्पोट मंगवाई जावे वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि स्माल पेच आंवटन कि शिकायत नही हो सकती कब्जा अप्रार्थीगण के पास है रिर्पोट कि आवश्यकता नही है दोनो पक्षो को सुनकर 151 सीपीसी का प्रार्थनापत्र निरस्त किया गया व वकिल प्रार्थी को कहा गया कि वो स्थगन प्रार्थनापत्र पर बहस करे जिस पर वकिल प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि रिकार्ड तलबी हेतु कई बार पत्र जारी किये जा चुके है लेकिन रिकार्ड आज तक तलब नही हुआ है रिकार्ड मंगवाया जाकर आज ही मेरिट पर बहस सुनी जावे जिससे पत्रावली का निस्तारण हो सकता है शेष तलबी सम्भव नही है क्योकि अप्रार्थी गण फौत हो चुके है उनके वारिसो का अता पता नही है इस पर रिकार्ड प्रभारी अधिकरी सूरतगढ़ से पत्रावली मंगाई जाकर बहस सुनी गई वकिल प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि चक 10 एस डी के प0न0 107/396 का कि0 न0 17 ता 24 में 0.506 है0 रकबा अप्रार्थीगण को 09/12/1975 को बिना [illegible] के [illegible] में अन्य कोई रकबा नही होने के बाबजुद भी आवंटन हुआ हैं जो विधि विरुद्ध है कुछ लोगो के शपथपत्र भी दिये हुए है इस लिए न्यायहित मे उक्त आवंटन निरस्त किया जावे वकिल अप्रार्थी संख्या 2/1 द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विधि विरुद्ध है स्मालपेच का रकबा निलामी मे आवंटन होता है इसलिए 11/14 का प्रार्थनापत्र पेश नही किया जा सकता इस लिए प्रार्थनापत्र शुरु से ही शुन्य है जो निरस्स्त योग्य है व दिनांक 09/12/1975 को चक 10 एस डी के प0न0 107/396 का कि0 न0 17 व 25 प्रार्थी कि सहमती से आवंटन हुआ है

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.06 16:59:09 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला ...
सूरतगढ़ (जिला—श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी आवंटन के समय उपस्थित था व प्रार्थी के द्वारा ही चक 10 एस डी के प0न0 107/396 के चारबीधा का आवंटन कराने का प्रार्थनापत्र दिनांक 30/07/1975 को पेश किया था व दिनांक 09/12/1975 को दो बीधा रकबा आवंटन करने के लिए प्रार्थी द्वारा मु. श्रगारी के वारीसान यानी अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 को आवंटन करवाने के लिए सहमति दी थी जिस कारण आवंटन जारी हुआ था इसलिए प्रार्थी शिकायत प्रस्तुत नही कर सकता इसलिए शिकायत प्रार्थना पत्र खारीज योग्य हे व प्रार्थी द्वारा मरे हुए व्यक्तियो के विरुध प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है इस लिए प्रार्थनापत्र विधी विरुद्व होने के कारण निरस्त योग्य है क्योकी अप्रार्थी 1 ता 4 फौत है मृत व्यक्ति के विरूद्व किसी प्रकार कि कार्यवाही नही कि जा सकती जैरप्रकरण रकबा अप्रार्थीगण के वारीसो के कब्जा काश्त मे है मोका पर बैरी का बाग लगा रखा है प्रार्थी द्वारा जानबुझकर अप्रार्थीगण के वारीसो को परेशान करने कि नियत से व परेशान कर उक्त रकबा स्वय हड़पना चाहता है क्योकि पुर्व मे भी प्रार्थी द्वारा उक्त रकबा में घुसने कि कोशिश कि थी जिस पर थाने मे कार्यवाही भी हुई थी इसलिए प्रार्थनापत्र को खर्चा व हर्जाना के खारिज किया जावे।

उभय पक्ष कि बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया जो कि मुल आवंटन पत्रावली मे स्वयं प्रार्थी द्वारा सहमती देकर दिनांक 09/12/1975 को अप्रार्थी गण को आवंटन हुआ था तत्समय शिकायतकर्ता द्वारा कोई उजर प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रार्थी द्वारा मृत व्यक्तियों के विरुद्व जानबुझकर व आवंटन मे भी सहमती देने के फलस्वरुप झुठा प्रार्थना पत्र पेश किया है जो आधारहीन है इसलिए प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाना उचित समझते है।

उक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आधारहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड निर्णय की प्रति सहित लौटाया जावे प्रकरण मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कन्हैया लाल सोंगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (जिला-श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.06 16:59:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner